न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
वाद सं0 : 928 सन 2022
अनवान :–

1. रणजीत सिह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. प्रमेश्वरी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. मेहरचन्द पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. सजना पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
5. सुमित्रा पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
6. पुष्पा पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/12/25

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की प्रतिवादी संख्या 1 के पति व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट साकिन गोरखाना को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.1968 को आवंटित की गई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता का लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वाद भूमि रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन होने व कब्जा काश्त में लगातार चली आने के कारण आंवटन होने के 10 वर्षो के बाद आवंटन आदेश में अंकित शर्तो के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गया था।

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को वाद भूमि आवंटन होने के बाद वादी के पिता हरीराम ने उक्त वाद भूमि व अन्य भूमियो का आपस में वाहमी बटवारा कर दिया था जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज होकर आदिनांक तक काश्त करता आ रहा है तथा वादी के पिता के देहान्त होने के उपरान्त बाहमी बटवार के अनुसार वादी वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि जो वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन की गई थी को गत पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल खसरो में परिर्वतन किया गया था जिसमे वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 को हाल खसरा न0 113 में परिर्वतन व पैमुद किया गया था।

वाद भूमि वादी के पिता ने आवंटन के समय से ही अपनी सीव डोल कायम की हुई है जिसमें वादी ढाणी बना कर निवास कर रहा है एवं वादी के पिता हरीराम को आवंटन एव बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को काश्त करता आ रहा है।

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 16.08 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता हरीराम एव बाहमी बटवारा मिलने [illegible] वादी काबिज चला आ रहा है किन्त वादी के पिता हरीराम को आवंटन [illegible] रिकार्ड में अकन नही किया गया है जिससे वाद भूमि आज भी रा[illegible]राज दर्ज चली आ [illegible] जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो को हनन होता है वादी [illegible] पिता हरीराम को [illegible]न की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर एवं आवटन आदेशा की शर्ता के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नो[illegible]

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट साकिन गोरखाना को राही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक्ट भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी जिस पर वाद के पिता हरीराम लगातार काबिज रह कर भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादी के पिता हरीराम द्वारा वाद भूमि के अलावा अन्य भूमियो का परिवार की सहमति से बाहमी बटवारा करने पर वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है और वादी के पिता आवंटन दिनांक के दस वर्षो के बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही करने के कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज चली हा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक्ट भूमि जो वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आंवटन शुद्वा भूमि है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 7 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0. 106 हाल खसरा न0 113 की कुल 4.1480हैक्ट भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन की गई भूमि है जो बाहमी बटवारा में वादी को प्राप्त हुई है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है जिसे वादी के नाम बतौर खातेदरार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाल पेश किया गया है।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वर्तमान मे वाद भूमि उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है वादी आवंटन नियमों के अन्तर्गत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाव व मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल किया गया व वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र / दस्तावेज पेश किये जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 1 के पति व वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट साकिन गोरखाना को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा भूमि आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 13.07.1968 को आवंटित की गई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता का लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही थी।

वाद भूमि रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन होने व कब्जा काश्त में लगातार चली आने के कारण आंवटन होने के 10 वर्षो के बाद आवंटन आदेश में अंकित शर्तो के अनुसार खातेदार काश्तकार हो गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को वाद भूमि आवंटन होने के बाद वादी के पिता हरीराम ने उक्त वाद भूमि व अन्य भूमियो का आपस में बाहमी बटवारा कर दिया था जिसमें वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज होकर आदिनांक तक काश्त करता आ रहा है तथा वादी के पिता के देहान्त होने के उपरान्त बाहमी बटवार के अनुसार वादी वाद भूमि का अकेला खातेदार काश्तकार है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद भूमि जो वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन की गई थी को गत पैमाईश के दौरान साबिका खसरा से हाल खसरो में परिर्वतन किया गया था जिसमे वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 को हाल खसरा न0 113 में परिर्वतन व पैमुद किया गया था।

वाद भूमि वादी के पिता ने आवंटन के समय से ही अपनी सीव डोल कायम की हुई है जिसमें वादी ढाणी बना कर निवास कर रहा है एवं वादी के पिता हरीराम को आवंटन एव बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को काश्त करता आ रहा है।

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 16.08 बीधा भूमि आवंटन की गई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता हरीराम एव बाहमी बटवारा मिलने के वाद वादी काबिज चला आ रहा है किन्त वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अकन नही किया गया है जिससे वाद भूमि आज भी राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो को हनन होता है वादी अपने पिता हरीराम को आवंटन की भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर एवं आवटन आदेशा की शर्ता के अनुसार बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट साकिन गोरखाना को राही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक्ट भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी जिस पर वाद के पिता हरीराम लगातार काबिज रह कर भूमि काश्त करते आ रहे है तथा वादी के पिता हरीराम द्वारा वाद भूमि के अलावा अन्य भूमियो का परिवार की सहमति से बाहमी बटवारा करने पर वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो वादी के लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है और वादी के पिता आवंटन दिनांक के दस वर्षो के बाद स्वत ही खातेदार काश्तकार हो गया था किन्तु वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन नही करने के कारण आज भी राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज चली हा रही है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक्ट भूमि जो वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आंवटन शुद्वा भूमि है को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पति /पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटनशुद्वा भूमि है जो पूर्व में वादी के पिता हरीराम एवं वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिवादी के पति/पिता हरीराम ने अपने जीवनकाल में अन्य भूमियो के साथ बाहमी बटवारा करने के कारण वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जिस पर वादी काबिज होकर भूमि काश्त करता आ रहा है जिसे वादी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा भूमि वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन अधिकारी के द्वारा दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 है जिसके कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है वारिसान की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी होती है तथा वादी का कथन है कि वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन की गई भूमि जो वादी के पिता हरीराम के कब्जा काश्त में थी हरीराम ने अपने जीवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Rahul

काल में अन्य भूमियो के साथ परिवार में बाहमी बटवारा करने पर वाद भूमि वादी को प्राप्त हुई थी जो उनके कब्जा काश्त में है वादी के कथनो की पुष्टि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के ईकबाल दावा एवं वादी के कथनो को स्वीकार करने एव तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट अनुसार भूमि होती है जिसके अनुसार वाद भूमि वादी के कब्जा काश्त में होना अंकित किया गया है अर्थात वाद भूमि वादी के पित हरीराम वल्द खीवसिह को आंटन होने के बाद पूर्व में वादी के पिता हरीराम के कब्जा काश्त में है वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त मे चली आ रही है जो प्रस्तुत दस्तावेजात खसरा गिरदावरीयो एव तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वाद भूमि हरीराम वल्द खीवसिह को आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी हरीराम के देहान्त होने पर वीद के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों /पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में प्रतिवादी एव पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

भू0 प्रबन्ध विभाग के द्वारा गत पैमाईश के दौरान साबिका खसरा की भूमियो को हाल खसरा /हैक्टरयर में परिर्वतन किया गया था जिसमें वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन की गई भूमि रोही मोजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा भूमि को हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक में परिर्वतन किया गया है जो मिलान क्षेत्रफल एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है।

वादी का कथन है कि वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन की गई थी जिस पर पूर्व में वादी के पिता एव वर्तमान में वादी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है एवं आवंटन आदेश की शर्ता की पूर्णत्या पालना करने के कारण आवंटन आदेश की शर्ता के अनुसार वादी आवंटन दिनांक के 10 वर्षो के बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था किन्तु राजस्व विभाग के द्वारा आंवटन आदेश का ही अकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादी अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज करवाने का अधिकारी है वाद का कथनो पत्रावली में उपलब्ध दस्तााविजात एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित होते है।

तहसीलदार नोहर ने अपने मौका रिपोर्ट में अकित किया गया है कि वाद भूमि का आवटन है आवटन आदेश सलग्न है किन्तु वर्तमान में अराजीराज दर्ज है पटवारी रिपोर्ट अनुसार वाद भूमि नये खसरो में पैमुद की गई है किसी प्रकार का विवाद नही है किसी भी सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित या प्रस्तावित नही है किसी प्रकार का प्रभाव बकाया नही है ना ही सिलिग सीमा से प्रभावित है भूमि आवंटन के दस्तावेज संलग्न किये है भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है।

तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित होता है कि वाद भूमि वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को नियमानुसार आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता हरीराम एव वर्तमान में वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है केवल मात्र वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह को किये गये आवंटन आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही किया गया है जिसका दायित्व वादी या उसके पिता का नही था आवंटन आदेश का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का दायित्व राजस्व विभाग अर्थात तहसीलदार नोहर का था तहसीलदार नोहर के द्वारा यदि आवटन आदेश का अंकन राजस्व रिकार्ड में नही किया गया है तो वादी के अधिकार समाप्त नही हो जाते वह कभी भी अपने अधिकारो की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज हरीराम वल्द खीवसिह को आवंटन दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का

Rahul

नोहर

पिता आवंटन दिनांक 13.07.1968 के तीन वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये था

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता हरीराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957 / 1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र / अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957 / 1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957 / 1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

“Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment.”

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप / 2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957 / 1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957 / 1970 के गैर खातेदारी को भी सम्मिलित माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसुचना एफ 4(11) कोलो / 96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई व्यक्ति जिसे राजस्थान भू0 राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धों के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत क[illegible] करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि [illegible]जनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटन की गई आसामियों को अस्थायी काश्त[illegible] माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07. 03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
मोहर

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट (जो अनूसूचित जाति वर्ग का सदस्य है) को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है जिसका राजस्व रिकार्ड में अकन नही किया गया किन्तु आवंटन भूमि आदिनांक तक वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत दस्तावेजात व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट से साबित है वाद भूमि आवंटन नियम 1957/70 के तहत भूमि आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

उपरोक्ता विवेचन से पूर्णत्या साबित है कि वादी के पिता आवंटी हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 की 16.08 बीधा भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी जिसे हाल खसरा न0 113 की 4.1480 हैक में परिर्वतन पैमुद की गई है वाद भूमि आवंटन के समय से पूर्व में वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह के कब्जा काश्त में थी एवं वर्तमान में वादी के आदिनांक तक लगातार कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है अर्थात आवंटन आदेश का अंकन नही हुआ है वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है ऐसी भूमिया जो पूर्व में बारानी क्षेत्र मे थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु समय समय पर परिपत्र /अधिसुचनाऐं जारी की गई है वादी/आवंटी उक्त अधिसुचनाओ/परिपत्र के परिपेक्ष में खातेदारी अधिकारी पाने का अधिकारी है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 346/351 के खसरा 113 की 4.1480 हैक भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/- प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/-प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है

वादी के पिता हरीराम वल्द खीवसिह जाति जाट साकिन गोरखाना को रोही मौजा गोरखाना के साबिका खसरा न0 106 हाल खसरा न0 113 की 4.1480हैक भूमि दिनांक 13.07.1968 को आवंटन की गई थी जिसका राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज है।

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय , हनुमानगढ के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज भूमियों को आसामीयो के नाम दर्ज करने से पूर्व जिला मुख्यालय पर एक कमेटी का गठन किया गया है जिससे अनुमोदन होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जा सकता है।

अतः मुल पत्रावली मय निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर हनुमानगढ को विधि परिक्षण/कमेटी के अनुमोदन हेतु भिजवाया जावे निर्णय की आगामी कार्यवाही अनुमोदन उपरान्त ही सम्पादित की जावेगी।

व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर [illegible] तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 02/12/25 [illegible] द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested

Rahul

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– राहुल श्रीवास्तव (आई.ए.एस)

अनवान :–

1. रणजीत सिह पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 प्रमेश्वरी देवी पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. मेहरचन्द पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. सुभाषचन्द्र पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
4. सजना पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
5. सुमित्रा पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
6. पुष्पा पुत्री हरीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 928 सन 2022 निर्णय दिनांक – 02/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा गोरखाना के खाता संख्या 346/351 के खसरा 113 की 4.1480 हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 2000/– प्रतिबीधा का 20 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

Rahul.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 18:00:21 IST
Reason: SelfAttested